

मध्य प्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 944/1434/2014/आठ
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.3.2015

परिवहन आयुक्त,
ग्वालियर, मध्य प्रदेश,
विषय :- मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर विषय पर कट्स इन्टरनेशनल द्वारा दिए गये
प्रेजेंटेशन/बैठक का कार्यवाही विवरण।

—00—

परिवहन विभाग द्वारा मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में उनके प्रतिकक्ष में
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर विषय पर एक बैठक दिनांक 12 फरवरी 2015 को आयोजित
की गयी, जिसमें कट्स इन्टरनेशनल के प्रतिनिधियों द्वारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त सम्पन्न बैठक दि. 12.02.2015 का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु
संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2/1/15

(ओमप्रकाश श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग

पृ0 क्रमांक 945/1434/2014/आठ
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16.3.2015

1. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण
विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. श्री संजय शुक्ला, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल मध्यप्रदेश।
5. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. श्री एम.एस.डी. कनोडिया, सभागीय उप परिवहन आयुक्त, इन्दौर मध्यप्रदेश।
7. श्री अजय गुप्ता, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. श्री आर.आर. त्रिपाठी, सलाहकार, परिवहन विभाग केम्प आफिस, भोपाल
मध्यप्रदेश।
9. श्री प्रियेश मालवीय, पी.ई.एम.टी. कंसलटेंट, मंत्रालय भोपाल।
10. श्री राजीव शर्मा, स्टेट हेड, स्मार्ट चिप लिमिटेड शाहपुरा भोपाल।
11. श्री प्रदीप एस. मेहता, सेक्रेटरी जनरल, कट्स इन्टरनेशनल डी -217भास्कर
मार्ग, बानी पार्क जयपुर राजस्थान-302016।
12. श्री हनी गुप्ता, फेलो, कट्स इन्टरनेशनल डी -217भास्कर मार्ग, बानी पार्क
जयपुर राजस्थान-302016।
13. सुश्री श्रेया कौशिक, प्रोग्राम ऑफिसर, कट्स इन्टरनेशनल डी -217भास्कर मार्ग, बानी
पार्क जयपुर राजस्थान-302016।

2/1/15
13/3/15

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

विषय : मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर विषय पर कट्स इन्टरनेशनल द्वारा दिए गये प्रेजेंटेशन/बैठक का कार्यवाही विवरण।

परिवहन विभाग द्वारा मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में उनके प्रतिकक्ष में 'मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर' विषय पर एक बैठक दिनांक 12 फरवरी 2015 को आयोजित की गयी, जिसमें कट्स इन्टरनेशनल के प्रतिनिधियों द्वारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, बैठक में परिशिष्ट एक अनुसार अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सर्प्रथम उपसचिव, परिवहन द्वारा विभागीय अधिकारियों का परिचय कट्स इन्टरनेशनल के प्रतिनिधियों से करवाया गया। तदोपरांत कट्स इन्टरनेशनल से सुश्री श्रेया कौशिक ने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की। उनके द्वारा सर्वप्रथम प्रेजेंटेशन के प्रारूप को बताया गया। जिसे क्रमानुसार कट्स इन्टरनेशनल के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

1. **इंट्रोडक्शन** : कट्स इन्टरनेशनल से श्री प्रदीप एस.मेहता (जनरल सेक्रेटरी) द्वारा कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया गया, कंपनी के कार्यक्षेत्र तथा अनुभव के बारे में बताया गया। प्रेजेंटेशन में कंपनी द्वारा भारत के अलावा एशिया एवं अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों में किये जा रहे कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया। श्री प्रदीप एस.मेहता ने विभाग के लिए रेगुलेटर की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा म.प्र.र.प.नि के बंद होने के बाद रेगुलेटर की आवश्यकता होने पर बल दिया। प्रेजेंटेशन के दौरान उनके द्वारा कई उदाहरण प्रस्तुत किये गये।

2/11/15 1

2. **CREW प्रोजेक्ट:** तदोपरांत प्रेजेंटेशन में सुश्री श्रेया कौशिक द्वारा कट्स इंटरनेशनल के CREW (Competition Reforms in Key Markets for Enhancing Social & Economic Welfare in Developing Countries) प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कट्स इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट घाना, भारत, फिलिपेंस एवं ज़ाम्बिया में चल रहे जोकि DFID (UK) तथा GIZ (Germany) जैसी अंतराष्ट्रीय संस्थानों से वित्त पोषित हैं।

भारत में उनके द्वारा यह प्रोजेक्ट दो क्षेत्रों में चल रहा है :-

- (i) मूल भोजन जैसे गेहूँ (बिहार एवं राजस्थान में)
- (ii) बस ट्रांसपोर्ट (मध्यप्रदेश एवं गुजरात में)

मध्यप्रदेश बस ट्रांसपोर्ट की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश ने बस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन का कार्य वर्ष 2005 में बंद कर दिया था। शासन को मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम को चलाने में 500 लाख रु. तक का हर माह आर्थिक नुकसान हो रहा था, जिसके कारण शासन को मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम को बंद करना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप लोक परिवहन में निजी ऑपरेटरों का प्रवेश सुगम हो गया है तथा अब वह अपने व्यवसायिक लाभानुसार रूट एवं समय का चयन कर लेते हैं। तदोपरांत उनके द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में लोक परिवहन के क्षेत्र में रेगुलेटर की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा पूछा गया कि कट्स इंटरनेशनल विश्व में किसी ऐसे शहर का नाम बता सकता है, जहां इस तरह का रेगुलेटर शहरीय स्तर के लोक परिवहन में कार्य कर रहा है ? कट्स इंटरनेशनल द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इस तरह का कोई भी रेगुलेटर शहरीय स्तर के लोक परिवहन में कार्य नहीं कर रहा है, परन्तु राज्य स्तर पर ऐसे उदाहरण मौजूद हैं।

2/11
5/3/15

कट्स इंटरनेशनल द्वारा मध्यप्रदेश रेगुलेटर की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित सुझाव एवं तर्क दिए गये :-

1. **ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वर्तमान व्यवस्था** : वर्तमान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का उदारीकरण हो गया है, प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा अंतर्राज्यीय, इंटरसिटी एवं इंट्रासिटी क्षेत्रों में बसे चलायी जा रही हैं। परिवहन विभाग क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय, नगरीय निकाय एवं विशिष्ट बस सेवा (BRTS) के माध्यम से लोक परिवहन के लिए बसों को रेगुलेट करता है। मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग रेगुलेटरी बॉडी से ज्यादा प्रशासनिक बॉडी के रूप में काम कर रही है। परिवहन विभाग के रेगुलेट करने का काम लाइसेंस एवं परमिट जारी तथा किराया दर तय करने तक ही सीमित है। परिवहन विभाग द्वारा किराया दर निर्धारण करने के लिए कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है। इसके अतिरिक्त मार्गों के युक्तिकरण (Route Rationalisation) की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया। राज्य में म.प्र.स.प.नि. के सक्रिय रूप से बंद हो जाने के बाद कोई विकल्प नहीं था। BCCL जैसी संस्था शहरों में बस सर्विस प्रदान करने के साथ साथ अर्ध नियामक की भूमिका भी अदा कर रही है। प्रसन्ना पर्पल की सिटी बस सर्विस में तथा कैपिटल रोडवेज का BRTS में एकाधिकार है, जिससे अन्य निजी कंपनियों के लिए शहरी क्षेत्रों में बस सर्विस प्रदान करने की प्रतिस्पर्धा सीमित हो गयी है। राज्य शासन को अन्य निजी कंपनियों को इस क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए योजना बनाना चाहिए।

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कट्स इंटरनेशनल को अवगत कराया कि मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय द्वारा चलित बसें एवं BRTS के माध्यम से चलित बसें एक ही इकाई हैं, नगरीय निकाय के पास इसके लिए अलग से कोई विंग नहीं है।

2/4
5/3/15/1

3

2. लोक परिवहन में सुधार हेतु सुझाव:-

- अ) लोक परिवहन में उचित विनियामक ढांचे की आवश्यकता ।
आ) राज्य में लोक परिवहन नियामक जैसी संस्था की आवश्यकता, जिसे एकल निर्णय लेने का अधिकार हो एवं जो लोक परिवहन में आर्थिक और प्रशासनिक नियामक के रूप में कार्य कर सकें।
इ) रेगुलेटर जैसा रोड सेफ्टी बिल-2014 प्रारूप में परिभाषित हैं, उसके अनुरूप हो।
ई) कार्यरत निजी कंपनियों के कार्यों के निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए उचित तंत्र की आवश्यकता ।

इसके अतिरिक्त कट्स इंटरनेशनल द्वारा रेगुलेटर के सन्दर्भ विभिन्न संस्थाओं के मत जैसे वर्ल्ड बैंक, नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पालिसी कमेटी - 2014 एवं प्रारूप - रोड सेफ्टी बिल -2014 को रखा गया।

श्री हनी गुप्ता, कट्स इंटरनेशनल द्वारा लोक परिवहन नियामक (रेगुलेटर) की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया. उनके अनुसार लोक परिवहन नियामक को नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पालिसी कमेटी - 2014 एवं प्रारूप - रोड सेफ्टी बिल -2014 के अनुरूप होना चाहिए। नियामक के लिए लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल होना चाहिए।

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में केवल 3 शहरों में ही अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नगरीय निकाय आर्थिक रूप से लाभ की स्थिति में हैं, अन्य निकायों में अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक नहीं हैं। उनके द्वारा पूछा गया कि शहरीय लोक परिवहन आधारित रेगुलेटर को कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है ?

2/11/15 14

मुख्य सचिव महोदय ने कट्स इंटरनेशनल को अवगत कराया कि इस धारणा पर प्रदेश में पहले से ही काम चल रहा है। म.प्र.शासन के केबिनेट से परिवहन विभाग के लिए "म.प्र. इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी" के निर्माण की अनुमति मिल गयी है, जिसकी प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। कट्स इंटरनेशनल द्वारा म.प्र. लोक परिवहन पर उनके द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित प्रतिवेदन की एक प्रति मुख्य सचिव, म.प्र. शासन तथा दूसरी प्रति प्रमुख सचिव, परिवहन को दी गयी। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि विभाग इस बिंदु का परीक्षण करें कि नियामक (Regulator) के कार्य किस सीमा तक म.प्र. इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दिया जा सकते हैं।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

३५
५/३/१५
(ओमप्रकाश श्रीवास्तव)
उपसचिव, परिवहन विभाग

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर विषय पर कट्स इन्टरनेशनल द्वारा दिए गये प्रेजेंटेशन/बैठक दिनांक 12.02.2015 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री अँन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
2. श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग।
3. श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग।
4. श्री संजय शुक्ला, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग।
6. श्री एम.एस.डी.कनोडिया, उप परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग।
7. श्री अजय गुप्ता, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल, परिवहन विभाग।
8. श्री आर.आर. त्रिपाठी, सलाहकार, परिवहन विभाग।
9. श्री प्रियेश मालवीय, पी.ई.एम.टी. कंसलटेंट, परिवहन विभाग।
10. श्री राजीव शर्मा, स्मार्ट चिप लिमिटेड भोपाल।
11. श्री प्रदीप एस. मेहता, सेक्रेटरी जनरल, कट्स इन्टरनेशनल।
12. श्री हनी गुप्ता, फेलो, कट्स इन्टरनेशनल।
13. सुश्री श्रेया कौशिक, प्रोग्राम ऑफिसर, कट्स इन्टरनेशनल।

